

③

Case No.....36017

Name and address of the Complainant.....

① लल्लुभाण २१० हरीदाल बाघी २२ वर्ष १० ११/१२
पिलोश ०३ १०/११

आप पर आरोप है कि दिनांक 13-11-17 मुकाम
पिपल्साना पुलिस के पास पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 22 लीटर/पाव/बोतल 200 शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उचित
 सुपराधार मिल रहा है
 वाहवा
 The plea of the

है। हा।

२०००

नायिक निजिस्ट प्रथम वर्ग

y) लक्ष्मण विजयन २०००

१२

// निर्णय //

(आज दिनांक 13-12-17 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विवरण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 500 शब्दों में पौच दो रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड प्रदाये जाने पर 57 का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

04. जप्तशुद्ध सम्पत्ति 2 लीटर/पाव/बोतल 250 शराब

मृत्युहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार

अपील की जावे। अपील के आदेश के आदेश का

अधीनस्थ
अधीनस्थ प्रथम वर्ग
विशेष पद